प्रेस विज्ञप्ति
16.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद अंचल कार्यालय ने बैंक वित्त प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के रूप में संपत्ति की नकली विलेख जमा करके भारतीय स्टेट बैंक (पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) को धोखा देने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सैश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसईपीएल) के प्रबंध निदेशक सागीराजू सूर्यनारायण राजू के नाम पर 3.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी ने मेसर्स सैश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटर/निदेशक और अन्य के खिलाफ बैंक की शिकायतों पर भादस,1860 की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के तहत सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू),चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी और उसके प्रबंधन ने एक आपराधिक साजिश रची और बैंक से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में गढ़े/जाली दस्तावेज और काल्पनिक संपत्तियों का उत्पादन करके बैंक को 15 करोड़ रुपये का धोखा दिया। सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), चेन्नई ने अपनी जांच पूरी होने पर, मेसर्स सैश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक के खिलाफ दिनांक 21.12.2020 को अभियोगपत्र (चार्जशीट) दायर की थी।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स एसईपीएल के निदेशकों के माध्यम से एसबीआई को गैर-कृषि भूमि, विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण के रूप में वर्णित अचल संपत्ति के रूप में संपार्श्विक सुरक्षा की पेशकश करके 15 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था।हालांकि, उक्त संपत्ति, जिसे गढ़े/जाली दस्तावेजों के आधार पर गिरवी रखा गया था,का अस्तित्व ही नहीं था|पीएमएलए जांच से यह भी पता चला है कि मेसर्स एसईपीएल के कैश क्रेडिट खाते में वितरित सुविधाओं में से, आंध्र बैंक के साथ खोले गए सागीराजू सूर्यनारायण राजू के व्यक्तिगत खाते में बेईमानी से और धोखाधड़ी से धन हस्तांतरित किया गया था।इसके अलावा, एसईपीएल के एसबीआई ऋण खाते में धन प्राप्त करने के बजाय, मेसर्स एसईपीएल और उसके निदेशकों ने अपने विक्रेता से 13.53 करोड़ रुपये की प्राप्तियों को आंध्र बैंक के साथ बनाए गए एसईपीएल के दूसरे बैंक खाते में विपथित (डायवर्ट) किया था और आगे एसईपीएल के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हेराफेरी की थी |

आगे की जांच चल रही है।